-1-

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

1. श्रीमति रामसखी पुत्री बल्ले आदिवासी R-2588-I-16
2. श्रीमति शारदा पुत्री बल्ले आदिवासी
3. श्रीमति श्यामवती पुत्री बल्ले आदिवासी
4. शिवराज तनय बल्ले आदिवासी
5. श्रीमति मीराबाई पुत्री बल्ले आदिवासी

निवासी खजराहरचंद तह. खुरई
जिला सागर

श्री .... द्वारा आज दि. 3-8-16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 3/8/16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

.................निगरानीकर्तागण

विरूद्व

म.प्र.शासन

..........अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 एंव धारा 165 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्तागण न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर सागर द्वारा प्रकरण क्र :44/अ–21/15–16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खजराहरचंद स्थित भूमि खसरा क्र 280 रकवा 1.61 हे. निगरानीकर्तागण के पिता को पट्टे पर प्राप्त भूमि है जिसको विक्रय किए जाने हेतु अनुमति प्राप्त हेतु निगरानीकर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें कलेक्टर सागर द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, कलेक्टर सागर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(निलेन्द्र सिंघई
एड.
94251-71223
9009209222)

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2688/II/16 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.8.16	1– आवेदक के अधिवक्ता नितेन्द्र सिंघई उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर जिला सागर म0प्र0 के प्र.क्र.144/अ–21/वर्ष 15–16 में के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदकगण की भूमि ग्राम खजराहरचंद स्थित खसरा क्र 280 रकवा 1.61 हे भूमि आवेदकगण के पिता को बंटन में प्राप्त भूमि है तथा वर्तमान में आवेदकगण के नाम पर दर्ज भूमि है। जिसको विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदकगण द्वारा जो भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया था वह इस आधार पर दिया गया था कि आवेदकगण भूमि को विक्रय कर व्यापार करना चाहता है साथ ही भूमि कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है, इस कारण से वह इस भूमि को विक्रय कर अन्य स्थान पर कृषि योग्य भूमि क्रय करना चाहते हैं जिससे वह अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकें। आवेदक क्र 1 द्वारा इस न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान में उसका स्वास्थ अत्यन्त खराब हो गया है जिस कारण से इलाज हेतु उसे पैसों की अत्यन्त आवश्यकता है। आवेदकगण का यह भी तर्क है कि चूंकि वह भूमि विक्रय करने के उपरान्त उतनी ही अधिक उससे ज्यादा भूमि क्रय करेंगे इस प्रकार उनके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी बल्कि उनके पास ज्यादा भूमि हो जायेगी। उक्त आधार पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि की विक्रय की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत बताते हुए निगरानी ग्राह्य किये	

R-2588-II/16 (सागर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	जाने का अनुरोध किया है । 4– आवेदकगण के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदकगण द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है। आवेदक द्वारा अपनी अस्वाथता के संबंध के पर्चा भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण के पिता को पट्टे पर प्राप्त भूमि है तथा आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया है कि आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय कर उसके स्थान पर विक्रय की जा रही भूमि के बराबर अथवा उससे अधिक अन्य भूमि अपने अपने निवास स्थान के समीप क्रय करेंगे इस प्रकार उनके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । 5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उप पंजीयक विक्रय पत्र संपादित होने के दिनांक को प्रचलित शासन की गाईडलाईन के मान से विक्रयधन विकेता को अदा होने की संतुष्टि कर विक्रय पत्र संपादित करें । सदस्य	